102

# न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग–592–I–16

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

निर्मला देवी वेवा पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर, आयु–50 वर्ष लगभग, निवासी–ग्राम खेरा, मौजा थरा, अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

.....आवेदिका

बनाम

अरविन्द सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर, निवासी– ग्राम खेरा, मौजा थरा, अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 17-2-16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

17-2-16

**निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक–21.12.2015 प्रकरण क्रमांक–26/14–15–अ/6 में पारित**

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है–

**प्रकरण के तथ्य :–**

1. यहकि, मौजा थरा, तहसील अम्बाह जिला मुरैना, में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–2764/1 पुराना क्रमांक–2029 रकवा 0.36 हैक्टेयर सर्वे–2770/2 पुराना क्रमांक–2024 रकवा 0.39 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक–2794 पुराना क्रमांक–3464 रकवा 0.70 हैक्टेयर सर्वे 2844 पुराना क्रमांक–3463 रकवा 0.88 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक–2852 पुराना क्रमांक–3458 रकवा 0.33 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 2853/1 पुराना क्रमांक 3457 रकवा 0.01 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 2854 पुराना क्रमांक–3465 रकवा 0.91 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में आवेदिका के ससुर होतम सिंह के नाम अंकित है। जो विवादित भूमि के रूप में आगामी पदो में सम्बोधित की जायेगी। विवादित भूमि आवेदिका की पैत्रिक सम्पत्ति है जो होतम सिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। संयुक्त हिन्दू परिवार का सजरा निम्नानुसार है–

Xxxx(a)-BR(h)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

**प्रकरण कमांक 412–एक/2015 निगरानी जिला मुरैना**

| स्थान तथा दिनॉक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एं अभिभाषकों हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4-11-16 | पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक अरबिन्द सिंह के अभिभाषक को सुना गया। यह निगरानी तहसीलदार अम्वाह के प्रकरण कमांक 26/2014–15 अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 के विरूद्व प्रस्तुत है।<br>2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार अम्वाह व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 से आवेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की है एंव प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु आगामी तिथी पर लगाया है आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि तहसीलदार व्दारा संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि के गलत अंतरण पर नामान्तरण कार्यवाही की जा रही है और नामान्तरण कार्यवाही अनावेदक के हित में पूर्ण कर दी गई तो वह आवेदिका को बलपूर्वक पैत्रिक भूमि से बेदखल कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय व्यवहार न्यायालय से अंतरिम आदेश दिनांक 15.10.15 तथा 23.11.15 से अनावेदक को अन्य परिजनों से के साथ विवादित भूमियों में से कुछ भूमियों में दखल करने से निषेधित किया है । आवेदक विधवा महिला होकर निःशक्त श्रेणी में है जिसके कारण तहसीलदार व्दारा की जा रही मनमानी कार्यवाही पर रोक लगाई जावे।<br>4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि जब वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में पैत्रिक संपत्ति होने के आधार पर स्वत्व का विवाद मान. व्यवहार न्यायालय में लंबित है तथा व्यवहार न्यायालय से अंतरिम आदेश दिनांक 15.10.15 समाधि स्थल की भूमि पर तथा अंतरिम आदेश दिनांक 23.11.15 से रहवासी मकान वावत् अनावेदकगण को निषेधित किया गया है । व्यवहार के लम्बित रहते तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों के विपरीत नामांत्रण कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित कार्यवाही की श्रेणी में नहीं है। अतः तहसीलदार अम्वाह के प्रकरण कमांक 26/2014–15 अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।<br>सदस्य | |